न्यायालय सहायक कलक्टर, सरदारशहर

बइजलास दिव्या आर.ए.एस.

अनुवान राजेन्द्र प्रसाद बनाम रामेश्वर आदि

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

राजस्व मूल वाद संख्या 58/2019

निर्णय दिनांक 05/05/2025

राजेन्द्र प्रसाद पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी कामासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू

—वादी

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र गोमन्दराम जाति जाट निवासी गाजूसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
2. हरिराम पुत्र चुन्नीलाल जाति जाट निवासी गाजूसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

उपस्थितिः

1. श्री भागीरथ सींवर एडवोकेट वास्ते वादी
2. एकपक्षीय कार्यवाही वास्ते प्रतिवादी सं. 1 व 2
3. तहसीलदार सरदारशहर वास्ते प्रतिवादी सं. 3

—निर्णय—

इस न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.11.2024 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सरदारशहर से प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। वादी अधिवक्तक्ष ने विभाजन प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा इसी के मुताबिक दावा अन्तिम रूप से डिक्री करने व विवादित भूमि का खाता विभाजन करने का निवेदन किया।

वकील पक्षकारान को सुना गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान के हक हिस्सा के अनुसार है। अतः यह दावा बरूये विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा विवादित कृषि भूमि रोही मौजा गाजूसर तहसील सरदारशहर में स्थित कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 147, 156, 159, 170, 242 रकबा क्रमशः 8.6900 हैक्टेयर, 2.7800 हैक्टेयर, 1.9100 हैक्टेयर, 1.7800 हैक्टेयर, 5.2600 हैक्टेयर भूमि का खाता विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है कि :—

(1) कृषि भूमि रोही ग्राम गाजूसर तहसील सरदारशहर के खसरा नम्बर 156 तादादी 2.7800 हैक्टेयर हैक्टेयर सम्पूर्ण बा. द्वितीय, खसरा नम्बर 159 मीन क्षेत्रफल 0.545 हैक्टेयर बारानी द्वितीय पश्चिमी तरफ की एवं खसरा नम्बर 170 क्षेत्रफल 1.7800 हैक्टेयर सम्पूर्ण जिसे तहसीलदार सरदारशहर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव (नक्शा) में वादी के नाम से दर्शाया गया है, वादी राजेन्द्र प्रसाद पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी कामासर तहसील सरदारशहर के हिस्सा में रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा तरमीम की जावे।

(2) कृषि भूमि रोही ग्राम गाजूसर तहसील सरदारशहर के खसरा नम्बर 147 तादादी 8.6900 हैक्टेयर हैक्टेयर सम्पूर्ण बा. द्वितीय, खसरा नम्बर 159 मीन क्षेत्रफल 1.365 हैक्टेयर बारानी द्वितीय पूर्वी तरफ की एवं खसरा नम्बर 242 क्षेत्रफल 5.2600 हैक्टेयर सम्पूर्ण जिसे तहसीलदार सरदारशहर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव (नक्शा) में प्रतिवादी सं. 1 रामेश्वर पुत्र गोमन्दराम एवं रूपाराम गोदारा पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी गाजूसर तहसील सरदारशहर के नाम से दर्शाया गया है, वह प्रतिवादी सं. 1 रामेश्वर पुत्र गोमन्द राम के 2/3 हिस्सा एवं रूपाराम गोदारा पुत्र रामेश्वरलाल के हिस्सा में 1/3 हिस्सा संयुक्त रूप से रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा तरमीम की जावे। उक्त भूमि पंजाब नेशनल बैंक शाखा पूलासर में रहन रहेगी।

(3) उपर्युक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि में से जिन पक्षकारों का जितना हिस्सा बैंक के रहन है वह बैंक के यथावत रहन रहेगा। तहसीलदार सरदारशहर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

दिव्या (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सरदारशहर(चूरू)

निर्णय आज दिनांक 05/05/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में बाद हस्ताक्षर एवं मुद्रांकन सुनाया गया।

दिव्या (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सरदारशहर(चूरू)